न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी—दिव्यराज सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 1007/2024

दायर दिनांक 13.01.2025

निर्णय दिनांक 03-04-2025

1. उदी कंवर पत्नी भैरू सिंह राजपूत निवासी ढोलिया खेडा, तह0 व जिला भीलवाडा
2. गीता पुत्री भैरू सिंह राजपूत निवासी ढोलिया खेडा, तहसील व जिला भीलवाडा।
3. नरपत सिंह पुत्र भैरू सिंह राजपूत निवासी ढोलिया खेडा, तह0 व जिला भीलवाड़ा
4. राजू सिंह पुत्र भैरू सिंह राजपूत निवासी ढोलिया खेडा, तह0 व जिला भीलवाडा।
5. सुमित्रा पुत्री भैरू सिंह राजपूत निवासी ढोलिया खेडा, तहसील व जिला भीलवाडा।

—— प्रार्थीगण

बनाम

1. मौड सिंह पुत्र जयसिंह राजपूत निवासी ढोलिया खेडा, तहसील व जिला भीलवाडा—राज.
2. मोहन सिंह पुत्र जयसिंह राजपूत निवासी ढोलिया खेडा, तहसील व जिला भीलवाडा—राज.
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा।

—— विपक्षीगण

उपस्थितः—अधिवक्ता प्रार्थी श्री मुकेश धोबी

अप्रार्थी संख्या 01 से लगाकर 2 उपस्थित नहीं

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम ढोलियाखेडा पटवार हल्का क्षैत्र भोपालगढ भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पुर तहसील व जिला—भीलवाड़ा की सरहद मे हम प्रार्थीगण की कृषि आराजियात स्थित है जिसका विवरण खाता संख्या नया 43 में वर्णित आराजी संख्या 278/3 रकबा 0.0126 हेक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और प्रतिवादी के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थीगण संख्या 01 से लगायत 2 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

मैंने पत्रावली में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजी के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजी की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

अतः तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन (पत्थरगढी) करने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम ढोलियाखेडा पटवार हल्का क्षेत्र भोपालगढ भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर तहसील व जिला–भीलवाड़ा की सरहद मे हम प्रार्थीगण की कृषि आराजी स्थित है जिसका विवरण खाता संख्या नया 43 में वर्णित आराजी संख्या 278/3 रकबा 0.0126 हेक्टेयर, भूमि स्थित है। भूमि कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 03-04-2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा
भीलवाड़ा